पांचवी अनुसूची (पेसा) क्षेत्रों में जी.पी.डी.पी. पर अनुपूरक दिशानिर्देश

पंचायती राज मंत्रालय

भारत सरकार

विषय सूची

1. परिस्थितियां

2. ग्राम पंचायत स्तर की योजना का महत्व

3. राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपाय

- 3.1 ग्राम पंचायत स्तर की योजना लागू करने पर नीतिगत निर्णय
  - 3.1.1 ग्राम और ग्राम सभा की अधिसूचना
  - 3.1.2 जी.पी.डी.पी. की प्रकृति और दायरे पर निर्णय
  - 3.1.3 राज्य स्तर पर एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन
  - 3.1.4 विभिन्न संसाधनों पर निर्णय
- 3.2 ग्राम पंचायत स्तर की योजना के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करना
- 3.3 राज्य स्तर पर पर्यावरण सृजन
- 3.4 सहायता प्रणालियां/ व्यवस्थाएं
  - 3.4.1 निधि प्रवाह
  - 3.4.2 जिला और ब्लॉक स्तरों पर समन्वयन व्यवस्थाएं
  - 3.4.3 मानव संसाधन सहायता
  - 3.4.4 प्रौद्योगिकी/ तकनीकी सहायता
- 3.5 ग्राम (बस्ती या बस्तियों का समूह) स्तर पर विकेंद्रित योजना
  - 3.5.1 पेसा ग्राम सभा के लिए योजना की प्रक्रिया
  - 3.5.2 तकनीकी और प्रशासनिक अनुमोदन
  - 3.5.3 पेसा ग्रामों में सूचना का प्रचार-प्रसार
  - 3.5.4 कार्यान्वयन व्यवस्थाएं
  - 3.5.5 समीक्षा, निगरानी और मूल्यांकन
  - 3.5.6 प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना
- 3.6 क्षमता निर्माण

1. परिस्थितियां

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर विकेन्द्रीकृत योजना (जीपीडीपी) के लिए दिनांक 4 नवंबर, 2015 के पत्र सं. एम-11015/249/2015-डीपीई के तहत एक मॉडल दिशानिर्देश जारी किया है ताकि राज्य अपने जीपीडीपी दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देते समय/ संशोधन करते समय अपने संदर्भ के अनुसार उन्हें अपना सकें। इन दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है कि पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों (एफएसए) में जीपीडीपी के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाए जाने की आवश्यकता है। पेसा क्षेत्रों में भागीदारी योजना की एक अलग-अलग प्रक्रिया की आवश्यकता होने के निम्नलिखित कारण हैं :

- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के प्रावधानो के तहत क्षेत्र में सभी विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और कार्यान्वयन करने के उद्देश्य से ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण का समर्थन किया गया है।
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वासन, भूमि की बहाली (हस्तांतरण के मामले में), खनिजों के खनन, मादक पदार्थों के उपयोग, लघु वन उपज के स्वामित्व, ग्रामीण बाजारों के प्रबंधन, जल निकायों के प्रबंधन और साहूकारी पर नियंत्रण के क्षेत्रों में भी लोगों की भागीदारी औरसहमति का समर्थन किया गया है।
- पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के मामले में बस्ती/ ग्राम स्तर पर नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इन योजनाओं को अन्य ग्राम पंचायतों के मामले में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार बस्ती/ ग्राम स्तर पर तैयार किए जाने के बाद, इन योजनाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर एकीकृत किया जाना चाहिए।

जी.पी.डी.पी. के संबंध में पेसा के विशिष्ट प्रावधान नीचे दिए गए हैं :

1. पेसा की धारा 4 (ठ)(क) में उल्लेख किया गया है कि एक राज्य का कानून प्रथागत कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और सामान्य संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन की प्रथाओं के अनुरूप होगा।
2. पेसा की धारा 4 (ड़) के अनुसार प्रत्येक ग्राम सभा ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा कार्यान्वयन के लिए ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को शुरू करने से पहले सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को अनुमोदित करेगी।
3. धारा 4(ड) (vii) के अनुसार, राज्य विधानमंडल यह सुनिश्चित करेगा कि उचित स्तर पर पंचायतों और पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभा को विशेष रूप से जनजातीय उप-योजनाओं सहित ऐसी योजनाओं के लिए स्थानीय योजनाओं और संसाधनों पर नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान की जाए। पेसा में प्रत्येक गांव के लिए ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है न कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए, जैसा कि पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों के मामले में है।
4. पेसा की धारा 4 (बी) के अनुसार, एक गांव में सामान्यत: एक बस्ती या बसावों का एक समूह शामिल होगा, जिसमें एक समुदाय शामिल होगा और परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार अपने मामलों का प्रबंधन करेगा।

5. पेसा के तहत ग्राम सभा को परंपराओं और रीति-रिवाजों का रक्षण और परिरक्षण करने;

गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के लाभार्थियों की पहचान करने; उपयोग प्रमाण पत्र जारी करने; भूमि अधिग्रहण, लघु खनिजों के लिए पट्टा प्रदान करने से पूर्व परामर्श किए जाने आदि का भी अधिकार दिया गया है।

6. इसके अलावा, राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों और ग्राम सभा को एमएफपी के स्वामित्व के अधिकार; भूमि हस्तांतरण को रोकने और अनुसूचित जनजाति की हस्तांरित की गई भूमि को बहाल करने; गांव के बाजारों का प्रबंधन करने ; मादक पदार्थों की खपत और बिक्री को नियंत्रित करने; अनुसूचित जनजातियों को साहूकारी नियंत्रण और सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की जाएगी ।

यह देखा जा सकता है कि पेसा के तहत इसीलिए निर्वाचित ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा/ ग्राम सभाओं और उसके पारंपरिक नेतृत्व के बीच संबंधों पर अधिक सूक्ष्म और अधिक विकेंद्रीकृत प्रक्रिया और स्पष्टता की अपेक्षा की गई है। अत: संबंधित राज्यों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे राज्य के भीतर पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में लागू एक अनुपूरक जी.पी.डी.पी. दिशानिर्देश जारी करें।

2. पांचवी अनुसूची चेत्रों में जीपीडीपी का महत्व

पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति आबादी की प्रधानता है। सभी विकास संकेतकों पर, अनुसूचित जनजाति आबादी सामान्य आबादी से काफी पीछे है। उदाहरण के लिए, 2011 की जनगणना के अनुसार, केवल 22.6% अनुसूचित जनजाति के घरों में परिसर के भीतर शौचालय की सुविधा है, जबकि अन्य सामाजिक समूहों के लिए यह आंकड़ा उस अनुपात से दोगुने से अधिक 46.9% पर है। भारत के महापंजीयक के अनुसार, अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 66.07% है, जबकि अन्य सामाजिक समूहों के लिए यह आंकड़ा 72.99% है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005-06 के अनुसार, अनुसूचित जनजाति में बाल मृत्यु दर 35.8 है जबकि अन्य सामाजिक समूहों के लिए आंकड़ा 18.4 है और अनुसूचित जनजातियों में संस्थागत डिलीवरी का प्रतिशत 17.7% है जबकि अन्य सामाजिक समूहों का प्रतिशत 38.7% है। तत्कालीन योजना आयोग (2009-10 तेंदुलकर पद्धति) के अनुसार, 47.4% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति की आबादी गरीबी रेखा से नीचे है जबकि अन्य सामाजिक समूहों के लिए यह आंकड़ा 33.8% है।

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में स्थानीय विकास में गरीबी और अभाव को दूर करने के तरीकों और साधनों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। विकेंद्रीकृत शासन के लिए योजना बनाते समय पेसा ग्राम सभाओं की विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिनके कारण वनों के अधिकार और पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में लोगों की भूमिके हस्तांतरण के खिलाफ अधिकार को सक्षम बनाया गया है। योजना बनाने और निर्णय लेने में पेसा ग्राम सभा की प्रधानता को भी दोहराया जाना चाहिए।

जी.पी.डी.पी. के तहत पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में लोगों और विशेष रूप से जनजातीय आबादी को स्थानीय शासन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने और ग्राम सभा के मंच के माध्यम से उनकी जरूरतों और चिंताओं का समाधान खोजने का अवसर प्रदान किया गया है। इसके तहत पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों को पंचायत में आने वाली एफएफसी निधियों तक सीधी पहुंच प्रदान करके और इन निधियों का प्रबंधन और निरीक्षण करने के लिए पेसा के प्रावधानों के कार्यान्वयन में तेजी लाने का भी अवसर प्रदान किया गया है जिससे इन समुदायों की क्षमता में, पेसा में यथापरिकल्पित उनकी संसाधनों की जिम्मेदारी को नियंत्रित करने की क्षमता में वृद्धि होगी ।

3 राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपाय

3.1 पेसा के साथ ग्राम पंचायत स्तर की योजना को सुसंगत बनाने के संबंध में नीतिगत निर्णय

पेसा की धारा 4 (ख) के तहत गांव को सामान्यत: एक बस्ती या बस्तियों के एक समूह या एक बसाव या बसावों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक समुदाय शामिल है और जो परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार अपने मामलों का प्रबंधन करता है। यह सामान्यत: राजस्व गांव नहीं होता।

पेसा गांवों का मानचित्रण और अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा की जानी होती है। गांवों के रूप में घोषित करने के लिए बसावों का खाका तैयार करते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए उचित ध्यान रखा जाना चाहिए कि बसावों के लोगों के परामर्श से बसावों की प्राकृतिक सीमाओं की पहचान की जाए। समरूप आबादी वाले क्षेत्रों में, बसावों को इस तरह से समूहित करने का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि और विकेंद्रीकृत योजना के दृष्टिकोण से क्षेत्रीय निकटता और पहुंच हो।

3.1.1 ग्राम और ग्राम सभा की अधिसूचना

राज्य पेसा के प्रावधानों के अनुसार पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्रामों और ग्राम सभाओं को, यदि अब तक अधिसूचित नहीं किया गया है तो अधिसूचित कर सकता है। राज्य निर्वाचित वार्ड सदस्यों के परिक्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को जी.पी.डी.पी. के लिए पेसा ग्राम सभा के क्षेत्राधिकार के साथ सहसंबंध करने के लिए अधिसूचित पेसा ग्राम सभाओं की तुलना में ग्राम पंचायतों के वार्डों का मानचित्रण भी कर सकता है। प्रशिक्षण के लिए भागीदारी संरचनाओं को निर्धारित करना और योजना प्रक्रिया में ग्राम सभा और पंचायत की स्थायी समितियों और प्रबंधन संरचनाओं के बीच निरंतरता के लिए यह महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पेसा ग्राम सभा के लिए वार्षिक नियोजन अभ्यास का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक क्रमांकित ग्राम सभा रजिस्टर जारी किया जा सकता है।

3.1.2 पेसा के प्रसंग में जी.पी.डी.पी. की प्रकृति और दायरा

अधिकांश राज्यों में, मनरेगा (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) एस.बी.एम. और राज्य द्वारा सौंपी गई अन्य योजनाओं के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर अलग से योजनाएं तैयार की जाती हैं। साथ ही, ग्राम सभाओं के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान करने के लिए ग्राम पंचायत प्राथमिक एजेंसियां हैं। इसके अलावा, उन्हें प्रमुख योजनाओं के साथ-साथ स्थानीय संस्थानों के कामकाज की निगरानी में भी भूमिका दी जाती है और वे विभिन्न कार्यक्रमों संबंधी समितियों, विशेष रूप से स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, वाटरशेड प्रबंधन, शिक्षा, पोषण, सामाजिक वानिकी, जैव-विविधता और सार्वजनिक वितरण से संबंधित समितियों में शामिल होते हैं। इसके अलावा, अधिकांश ग्राम पंचायतें विशेष रूप से स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति से संबंधित अपने पारंपरिक नागरिक कार्यों को करना जारी रखती हैं। हालांकि, पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में, ग्राम सभा को न केवल सरकारी कार्यक्रमों के लाभार्थियों की पहचान करने या उनका चयन करने का अधिकार दिया गया है, बल्कि सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण रखने और ग्राम पंचायतों को उपयोग प्रमाण पत्र जारी करने का भी अधिकार दिया गया है। इसके अलावा, ग्राम पंचायत द्वारा पेसा गांव के भीतर कार्यान्वयन के लिए शुरू की जाने वाली योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का अनुमोदन ग्राम सभा के पास निहित होना चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना के व्यापक दायरे के भीतर इसे कैसे संचालित किया जा सकता है, इसे दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता है।

एफ.एफ.सी. पुरस्कार के साथ ही, ग्राम पंचायत के लिए एक ही समेकित योजना तैयार करनेकी ओर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें उन सभी संसाधनों को एकीकृत किया जाएगा, जो ग्राम पंचायत के नियंत्रण में हैं और इन विभिन्न कार्यों को एकीकृत किया है। पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में, अनिवार्य रूप से भागीदारी योजना का एक अतिरिक्त स्तर जोड़ा जाएगा। योजनाएं प्रत्येक ग्राम (राज्य द्वारा अधिसूचित

बसावट या बसावट समूह) स्तर पर तैयार की जानी चाहिए और फिर जी.पी.डी.पी. के रूप में ग्राम पंचायत स्तर पर समेकित की जानी चाहिए। जी.पी.डी.पी. के लिए मंत्रालय द्वारा जारी मॉडल दिशानिर्देशों में जी.पी.डी.पी. के ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है। पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में, जी.पी.डी.पी. को नीचे दिए गए घटकों के साथ एकीकृत किए जाने की भी सभावना है :

- **गरीबी उपशमन**

पेसा के लिए जी.पी.डी.पी. में गरीब समूहों और बस्तियों के लिए बुनियादी सेवाओं को प्राथमिकता देकर और यह सुनिश्चित करके गरीबी में कमी लाने पर एक मजबूत ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए कि विभिन्न कानूनों, कार्यक्रमों और योजनाओं के तहत प्रदान की गई हकदारियों (वन अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण) तक पहुंच हो। आजीविका में सुधार लाना भी, विशेष रूप से मनरेगा और एन.आर.एल.एम. के साधनों के माध्यम से भागीदारी नियोजन का एक क्षेत्र है। ग्राम सभाओं का लघु वन उपज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होता है, जिसके कारण इन स्वामित्व अधिकारों के प्रयोग में उन्हें कुछ आय प्राप्त होती है - उदाहरण के लिए, समाहर्ताओं के बीच एम.एफ.पी. की बिक्री से प्राप्त आय का वितरण। अत: इन क्षेत्रों में गरीबी का मुकाबला करने के लिए आजीविका पहल प्रदान करते समय, व्यक्तिगत की बजाय आजीविका समूहन की अवधारणा को स्थानीय योजना और विकास में शामिल किया जाना है।

- **मानव विकास**

जहां तक कौशल विकास, स्वास्थ्य, विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य, और खाद्य और पोषण, बाल लिंग अनुपात आदि सहित साक्षरता और शिक्षा से संबंधित घटकों का संबंध है, क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप स्पष्ट परिणाम हासिल करने के लिए आंगनवाड़ियों, स्कूलों, अस्पतालों के माध्यम से मानव विकास सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने, उन तक पहुंच बढ़ाने और संबंधित बुनियादी ढांचे में संधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, एफ.एस.ए. के लिए उपरोक्त को सुनिश्चित करने में ग्राम पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो सबसे अधिक जरुरी रहने की संभावना है। लेकिन कमियों पर चर्चा करने और उनकी पहचान करने, इन सेवाओं के वितरण की समुदाय आधारित निगरानी करने और इस संबंध में समन्वय के लिए ग्राम पंचायत के साथ सूचना और संचार का एक गहन संबंध बनाने में ग्राम सभा की भूमिका भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, और ग्राम सभा स्तर पर नियोजन प्रक्रिया के लक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पेसा की धारा **4 (ड) (6)** के तहत पंचायतों और ग्राम सभाओं के उचित स्तरों को **"**सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थानों और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण करने की शक्ति**"** है। उपरोक्त क्षेत्रों में सेवाओं में सुधार लाने के लिए सामुदायिक नियंत्रण और सामुदायिक निगरानी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। राज्य सरकारें सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं में ग्राम स्तरीय ग्राम सभाओं की अधिक प्रत्यक्ष भागीदारी को ध्यान में रखते हुए ऐसी संरचनाओं के निर्माण के लिए अनुदेश जारी कर सकती हैं।

- **सामाजिक विकास**

जहां तक पेसा का संबंध है, समस्याओं के समाधान के लिए और कमजोर एवं वंचित समूहों के कल्याण में सुधार लाने के लिए जी.पी.डी.पी. द्वारा लक्ष्य तय करने के लिए पहचानी गई कमजोरियों के अलावा, एक विशिष्ट चिंता, जिस पर ध्यान दिया जाना है, वह यह है कि लोग मादक पदार्थों की बिक्री और उपभोग के प्रति संवेदनशील लोगों और ऊंची दरों पर धन उधार देने वाले लोगों की पहचान की जानी चाहिए।

 आर्थिक विकास

जी.पी.डी.पी. के तहत, ग्राम पंचायतों को ऐसी गतिविधियां शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिनसे स्थानीय उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी, बाजार पहुंच में सुधार होगा, मूल्य वर्धन को बढ़ावा मिलेगा, और बाजार, तालाब, मत्स्य पालन, पशुधन विकास, बागवानी विकास, भूमि विकास, लघु सिंचाई सुविधाओं, खोदे गए कुओं, सिंचाई टैंकों जैसी लाभकारी अवसंरचना का निर्माण होगा। चूंकि ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन ग्राम सभा को प्रदत्त एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप है, इसलिए जी.पी.डी.पी. में विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय बाजारों के सुधार और प्रबंधन पर लक्ष्य करना चाहिए।

 आर्थिक विकास

जल निकायों, चरागाहों, घास के मैदानों, जलग्रहण क्षेत्रों और स्थानीय वनों जैसी विभिन्न पारिस्थितिकी प्रणालियों का रखरखाव और सुधार तथा उनका सतत उपयोग जैसे जैविक संसाधनों का संरक्षण और लघु वन उपज, जलाऊ लकड़ी, चारा, औषधीय पौधों आदि पर्यावरण के अनुकूल और जैव-विविधता बढ़ाने वाला होना चाहिए।

 सार्वजनिक सेवा वितरण

धारा 4(ङ): प्रत्येक ग्राम सभा

i. सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा कार्यान्वयन के लिए लिया जाने से पूर्व, ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को अनुमोदित करेगी;

ii. गरीबी उपशमन और अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान या चयन के लिए जिम्मेदार होगी।

सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण रखने की ग्राम सभाओं की शक्ति का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए ताकि ग्राम सभा कार्यान्वयन एजेंसी / अधिकारी से सेवा प्रदानगी के लिए जवाबदेही की मांग कर सके।

3.1.3 राज्य स्तर पर अधिकार प्राप्त समिति का गठन

जी.पी.डीपी. के संबंध में मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में जी.पी.डी.पी. के समन्वयन के लिए राज्य स्तर पर अधिकार प्राप्त समिति की सुझायी गई संरचना का प्रावधान है। यह सिफारिश की जाती है कि पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के राज्यों के लिए इस समिति में जनजाति सलाहकार परिषद के सदस्य भी शामिल होने चाहिए। अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) के सूचीबद्ध कार्यों में पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में जी.पी.डी.पी. तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए सक्षम कानूनी व्यवस्था तैयार करने के लिए अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना शामिल होना चाहिए। जहां संचालन समितियां हैं, वहां पेसा का दिन-प्रतिदिन समन्वय और निगरानी भी संचालन समिति द्वारा की जानी चाहिए।

3.1.4 विभिन्न संसाधनों पर निर्णय

अधिकार प्राप्त समिति (ई.सी.) एफ.एफ.सी. और एस.एफ.सी. अनुदानों, सी.एस.एस. और पंचायतों को सौंपी गई राज्य योजनाओं तथा स्वैच्छिक योगदानों सहित अन्य निधियों सहित ग्राम पंचायतों के लिए उपलब्ध संसाधनों की रूपरेखा निर्धारित करती है। जहां तक पेसा का संबंध है, राज्य की जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए संसाधनों का विशिष्ट उल्लेख किया जाना है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की गणना की जानी है और इसकी सूचना आदर्श रूप से सरकारी आदेश के रूप में दी जानी है। पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के मामले में, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को प्रत्येक ग्राम सभा के लिए ग्राम-वार पेसा के

अनुसार और अधिक व्यवस्थित करना होगा। ग्राम पंचायत के संसाधनों के वितरण के लिए मानदंड निर्धारित करने होंगे - मनरेगा के मामले में, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि निधि मांग योजना, या ग्राम सभा में नौकरी चाहने वालों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। अपने स्रोत राजस्व (ओ.एस.आर.) के मामले में, जिस प्रकार से ग्राम सभा के पास शक्तियां निहित हैं, ओ.एस.आर. को आदर्श रूप से उस ग्राम सभा के लिए तय करना होगा जहां से इसकी उत्पत्ति हुई थी। यह कोई मुद्दा नहीं होगा, यदि ग्राम सभा स्वयं राजस्व जुटा रही है, लेकिन ओ.एस.आर. की सभी मदों के संबंध में ऐसा नहीं हो सकता है। एफ.एफ.सी., एस.एफ.सी. और सी.एस.एस. जैसे आवंटन आधारित संसाधनों में, संसाधनों को विभाजित करने के लिए एक फार्मूला निर्धारित करने की आवश्यकता है। वित्तीय अनुदानों पर अध्ययन से पता चलता है कि फार्मूला जितना सरल होगा, वितरण उतना ही बेहतर होगा, अन्यथा आवंटन की जटिलता संसाधनों के संचार व्यवस्था को रोक सकती है। इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है कि बस्तियों के बीच एक समान रूप से निधियां आबंटित की जाएं, या जनसंख्या के अनुरूप या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुरूप या ऐसे किसी अन्य मानदण्ड के अनुरूप आबंटित की जाएं। सुझाव है कि मानदंड को सरल रखा जाए, और यह उस जानकारी पर आधारित होने चाहिए, जो कि ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो। जिस कार्यालय या अधिकारी को आवंटन करने और सूचित करने की जिम्मेदारी के साथ नामित किया जाना है, उसके बारे में भी राज्य के दिशानिर्देशों में उल्लेख किया जाए ।

पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ऐसे ग्राम-वार संसाधनों में लघु वन उपज (एम.एफ.पी.) और ग्राम बाजारों, जनजातीय उप-योजना आदि के प्रबंधन से ग्राम सभा की आय भी शामिल हो सकती है।

3.2 ग्राम पंचायत स्तर की योजना के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करना

जी.पी.डीपी. के लिए पेसा दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि पेसा, 1996; राज्य पेसा नियम (यदि अधिसूचित किया गया है); राज्य पंचायत राज अधिनियमों और पेसा के प्रावधानों से संबंधित संबद्ध कानूनों का भी उल्लेख किया जाए। झारखंड के योजना बनाओ अभियान के लिए दिशानिर्देश और झारखंड के योजना बनाओ अभियान की पंचायत योजना टीम के लिए हैंडबुक भी अच्छी संदर्भ सामग्री हैं, क्योंकि वे विशेष रूप से टोला सभा से शुरू होने वाली भागीदारी योजना के तौर-तरीकों को निर्धारित करती हैं जिसे एफ.एस.ए. में ग्राम सभा के समकक्ष माना जा सकता है। राज्य लोगों की पारंपरिक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट योजनाओं और कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को तैयार कर सकता है। जी.पी.डी.पी. योजना कार्य की समयसीमा में इन क्षेत्रों में पेसा गांवों में ग्राम-स्तरीय योजना के लिए आवश्यक समय फेक्टर को शामिल किया जाना चाहिए।

3.3 राज्य स्तर पर पर्यावरण सृजन

पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में, पर्यावरण सृजन अभियान में ग्राम पंचायत क्षेत्र में सभी जनजातीय बस्तियों को शामिल करना चाहिए। स्थानीय जनजाति विशिष्ट बोलियों, आदिवासी लोक संगीत और नृत्यों में आईईसी सामग्री का उपयोग पर्यावरण उत्पादन के लिए किया जा सकता है। पारंपरिक प्रमुख स्थानीय नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे समुदाय की परंपरागत प्रथाओं और मूल्य प्रणालियों के संरक्षक होते हैं। उनका उस विशेष जनजाति के व्यवहार पर मजबूत प्रभाव पड़ता है और इसलिए उन्हें शुरुआत से ही योजना प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों और पारंपरिक प्रमुखों की संयुक्त बैठकें आयोजित की जा सकती हैं। मुख्यमंत्री/ मंत्री से प्राप्त पत्रों सहित औपचारिक पत्र जो ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों और सदस्यों को भेजे जा रहे हैं, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में पारंपरिक नेताओं / ग्राम प्रधानों / ग्राम सभा प्रधानों को भी भेजे जा सकते हैं। योजना प्रक्रिया में पारंपरिक प्रमुखों की भूमिका को स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाए।

3.4 सहायता प्रणालियां/ व्यवस्थाएं

3.4.1 निधि प्रवाह और ग्रामकोष

संसाधन व्यवस्था में उल्लिखित निधियों की सभी श्रेणियों के लिए राज्य द्वारा स्पष्ट निधि प्रवाह तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें ऐसी समय अवधि शामिल होगी, जिसके भीतर निधियां ग्राम पंचायतों तक पहुंच जाएंगी। चूंकि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का लघु वन उपज, लघु जल निकायों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होता है, अत: इन स्वामित्व अधिकारों का प्रयोग करने से इन ग्राम सभाओं को कुछ आय प्राप्त होगी। पेसा एक ग्राम कोष या स्वयं निधि प्रदान करता है जिसे ग्राम सभा द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ग्राम कोष खाते का प्रबंधन और निधि का उपयोग कैसे किया जाना है, इस बारे में निर्णय ग्राम सभा द्वारा ही किया जाना है।

पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में, जहां ग्राम सभा कोष (खाता) मौजूद है और कोष से व्यय करने के लिए ग्राम सभा की एक समिति है, वहां ग्राम पंचायत एक निश्चित समय अवधि के भीतर संसाधन व्यवस्था में उल्लिखित निधियों को ग्राम सभा कोष में स्थानांतरित कर सकती हैं। एफ.एफ.सी. अनुदान प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जारी किया जाना है।

प्लान प्लस एप्लिकेशन को ग्राम सभा- वार परियोजना प्रविष्टि करने और ग्राम कोष का उल्लेख करने के लिए संशोधित किया जाएगा ताकि पेसा ग्राम सभा स्तर पर संसाधनों और योजना प्रवाह को भी अधिकार में लिया जा सके और निगरानी रखी जा सके। यदि अन्य विभागों के पास इसी तरह के आवेदन हैं, तो राज्य ग्राम सभाओं को संसाधन और योजना प्रवाह का उल्लेख करने के लिए उन्हें संशोधित कर सकते हैं।

3.4.2 क्षेत्र में समन्वयन व्यवस्थाएं

जी.पी.डी.पी. दिशा-निर्देशों के अनुसार गठित की जाने वाली जिला और ब्लॉक स्तरीय समन्वय समितियों के अलावा, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में एक ग्राम पंचायत स्तरीय समन्वय समिति भी गठित की जा सकती है जिसमें ग्राम पंचायत प्रमुख अध्यक्ष और ग्राम सभा के ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य और पारंपरिक प्रमुख/ ग्राम सभा के प्रमुख सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं।

जिला और ब्लॉक स्तरीय समन्वयन समितियों के कार्य

पहले से निर्धारित किए गए कार्यों के अलावा, जिला स्तरीय समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह अधिसूचित पेसा गांवों के गठन पर नज़र रखेगी, और प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए पेसा गांव के नक्शे रखेगी जिसमें गांवों में सभी बस्तियों को दर्शाया गया हो। पेसा ग्राम की स्थिति के विश्लेषण और ग्राम सभाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधन का समन्वय ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए और जिला स्तरीय समिति द्वारा उसकी निगरानी की जानी चाहिए। इन समितियों को यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि डेटा प्रविष्टि में प्रत्येक ग्राम सभा की योजनाओं को अलग-अलग उल्लिखित किया जाए।

ग्राम पंचायत स्तरीय समन्वयन समिति के कार्य

i. ग्राम पंचायत स्तर पर अन्तर ग्राम समन्वय सुनिश्चित करना
ii. ग्राम पंचायत में जी.पी.डी.पी. प्रक्रिया के लिए ग्राम पंचायत स्तर के कार्य समूह और ग्राम स्तरीय योजना टीमों का गठन करना
iii. योजनाओं और संसाधनों का मेल सुनिश्चित करना - विशेष रूप से मनरेगा और एसबीएम के लिए
iv. क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई करना और आवश्यकतानुसार समस्या निवारण और संकट प्रबंधन करना
v. यह सुनिश्चित करने के लिए कि जी.पी. डी.पी. प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधन सभी गांवों में आवश्यकतानुसार उपलब्ध हैं, उचित कार्यक्रम तैयार करें और कमी पूरी करने के लिए आवश्यक स्थानीय व्यवस्था करें
vi. बुनियादी ढांचे और उपकरणों सहित सभी गांवों में ग्राम सभाओं के लिए संसाधनों का उल्लेख करना
vii. ग्राम पंचायत और उप-ग्राम पंचायत स्तर पर क्षमता निर्माण के लिए लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं करना
viii. ग्राम पंचायत के गांवों में पर्यावरण सृजन गतिविधियों और मीडिया योजना का समन्वय करना
ix. ग्राम स्तरीय योजना टीम के लिए राज्य दिशानिर्देशों के अनुसार जी.पी.डी.पी. से संबंधित द्वितीयक डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करना
x. प्रत्येक पेसा ग्राम पर अलग-अलग उप रिपोर्ट रखते हुए, ग्राम सभाओं की स्थिति की विश्लेषण रिपोर्ट को पंचायत में समेकित करना
xi. ग्राम योजनाओं को जी.पी.डी.पी. में समेकित करने की सुविधा प्रदान करना
xii. परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन और अनुमोदन का समय पर समन्वयन सुनिश्चित करना
xiii. ग्राम पंचायत स्तर पर संपूर्ण जी.पी.डी.पी. प्रक्रिया की निगरानी करना
xiv. जी.पी.डी.पी. के कार्यान्वयन की निगरानी करना
xv. ग्राम पंचायत में जी.पी. डी.पी. की स्थिति, मुद्दों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर ब्लॉक समन्वय समिति को रिपोर्ट करना और प्रतिक्रिया प्रदान करना
xvi. ग्राम पंचायत की योजनाओं और स्कीमों के लिए ग्राम सभाओं द्वारा प्राथमिकता का निर्धारण सुनिश्चित करना ।

3.4.3 मानव संसाधन सहायता

इस प्रक्रिया से जुड़े मानव संसाधन के लिए क्षमता निर्माण की भूमिका और आवश्यकता को जी.पी.डी.पी. दिशानिर्देशों में विस्तृत किया गया है।

यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त मानव संसाधन सहायता की आवश्यकता होगी कि प्रत्येक पेसा गांव के लिए संसाधन व्यवस्था को राज्य के दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित की जाती हैं, यह कि प्रत्येक पेसा गांव में स्थिति का विश्लेषण किया जाता है, यह कि ग्राम स्तर की रिपोर्ट अलग से तैयार की जाती हैं और फिर समेकित की जाती हैं, यह कि पंचायत स्तर पर ग्राम सभा से पहले हर गांव में ग्राम सभा आयोजित की जाती हैं, यह कि पंचायत की वार्षिक योजना के साथ-साथ ग्राम विशिष्ट योजनाएं तैयार की जाती हैं और प्रत्येक पेसा गांव/ ग्राम सभा के लिए कार्यान्वयन व्यवस्था विकेंद्रीकृत है, राज्य द्वारा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है और ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तरीय समितियों द्वारा निगरानी की जानी चाहिए।

पेसा के अंतर्गत सामुदायिक मोबिलाइजरों की स्वीकृत की गई है और कतिपय राज्य पेसा ग्राम सभाओं के आयोजन सहित पेसा के लिए सहायता लेने के लिए गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग लेते हैं। अधिकांश राज्यों में राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरीय समन्वयक भी उपलब्ध कराए गए हैं। इसके लिए क्षमता निर्माण के लिए केन्द्रीय योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई गई है। यह महत्वपूर्ण है कि इन मानव संसाधनों को गांवों में योजना सुविधा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाया जाए और वे इस संबंध में अपनी भूमिकाओं पर पूरी तरह से उन्मुख हों। यह भी वांछनीय है कि उन्हें उपयुक्त स्तरों (जिला/ब्लॉक ग्राम पंचायत आदि) पर क्षेत्र समन्वय संरचनाओं का हिस्सा बनाया जाए।

राज्यों द्वारा कार्य व्यवस्था, प्रतिनियुक्ति, अतिरिक्त प्रभार पर मानव संसाधन जुटाने के लिए नीतियां और तंत्र विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा, अंशकालिक / पूर्णकालिक स्वयंसेवियों की पहचान केवल उनके द्वारा वास्तव में किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए की जा सकती है। प्रशासनिक और तकनीकी सहायता के लिए उपयोग किए जाने वाले 10% एफएफसी अनुदान में से मानव संसाधन को पेसा ग्राम योजना और कार्यान्वयन के लिए सेवा में लगाया जाना चाहिए।

क्लस्टर में जी.पी.डी.पी. की जवाबदेही लेने के लिए प्रति क्लस्टर (5-6 ग्राम पंचायत) 5-6 सम्मानित और अनुभवी निर्वाचित सदस्यों की एक टीम की पहचान की जा सकती है। इस टीम को सूचीबद्ध संसाधनों और उनके कौशल की एक सूची दी जा सकती है, जिन्हें ग्राम पंचायत टीम द्वारा जीपीडीपी के विभिन्न चरणों के लिए आवश्यकतानुसार बुलाया जा सकता है - जैसे डेटा संग्रह, संसाधन व्यवस्था को समझना, परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना और वार्षिक योजना तैयार करना। जीपीडीपी के विभिन्न कौशलों और चरणों के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा इस तरह की पैनल प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती है।

3.5 ग्राम (बस्ती या बस्तियों का समूह) स्तर पर विकेंद्रित योजना

3.5.1 पेसा ग्राम सभा के लिए योजना प्रक्रिया

पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में, ग्राम स्तर पर योजना बनाई जाएगी। इस उद्देश्य के लिए कार्य समूहों/ कार्य बलों द्वारा ग्राम स्तर पर स्थिति का विश्लेषण किया जाना चाहिए। राज्य या तो पंचायत स्तर के कार्य समूह या कार्य बलों को पंचायत में प्रत्येक पेसा गांव के लिए स्थिति का विश्लेषण करने की जिम्मेदारी सौंप सकता है, या इस उद्देश्य के लिए ग्राम-वार कार्य समूहों की तैनाती की जा सकती है। यह अपेक्षित है कि प्रत्येक बस्ती के पारंपरिक प्रमुख और प्रतिनिधि पेसा ग्राम स्तर पर स्थिति के विश्लेषण में शामिल हों। कार्य समूहों के गठन के लिए ग्राम सभा और पारंपरिक प्रमुख के साथ परामर्श किया जा सकता है। राज्य द्वारा कार्य समूहों में अनुसूचित जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।

यह संभावना है कि राज्य के कानून में प्रत्येक ग्राम सभा की स्थायी समितियों का प्रावधान हो। यदि ऐसा है, तो इन स्थायी समितियों के पास प्रत्येक गांव जी.पी.डी.पी. की स्पष्ट और विशिष्ट जिम्मेदारियां होनी चाहिए। उनके नेतृत्व में गांवों और बस्तियों की स्थिति का विश्लेषण किया जाना चाहिए और एक औपचारिक संस्थागत तंत्र होना चाहिए जिसके द्वारा ये स्थायी समितियां पहचाने गए विकास के सरोकारों पर ग्राम पंचायत समिति के साथ बातचीत की जा सके।

स्थिति विश्लेषण की रिपोर्ट का उपयोग प्रत्येक ग्राम की जरूरतों के साथ-साथ ग्राम सभा के लिए उपलब्ध संसाधनों और संभावित आय स्रोतों की पहचान करने के लिए किया जाएगा। पेसा के संदर्भ में, स्थिति के विश्लेषण में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, लेकिन यह इन तक सीमित नहीं होगा :

- विशिष्ट योजनाओं और परियोजनाओं के तहत लाभार्थियों की पहचान
- प्रत्येक ग्राम में विकास कार्यक्रमों के व्यय की स्थिति
- पेसा ग्राम में लघु खनिजों का दोहन

- मादक पदार्थों के उपयोग और खपत की स्थिति
- लघु वन उपज के स्वामित्व के प्रयोग की प्रकृति
- पेसा गांव में भूमि के अधिकार या हस्तांतरण की प्रकृति
- सूदखोरी प्रथाओं सहित साहूकारी की स्थिति
- गाँव में आय सृजन और संरक्षण के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति और सीमा, तथा इन संसाधनों पर ग्राम सभा के नियंत्रण की स्थिति
- पेसा ग्राम के भीतर स्थानीय ग्राम बाजारों की स्थिति
- सामाजिक संस्थाओं के कार्यकरण की स्थिति

सभी गांवों की विकास स्थिति रिपोर्ट (डी.एस.आर.) को उनकी संबंधित ग्राम सभाओं को विजन और प्राथमिकता तय करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। डी.एस.आर. में ग्राम कोष और ग्राम सभा के आय स्रोतों का विशिष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। पेसा ग्राम में जनजातीय उप योजना के कार्यान्वयन की स्थिति को इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

ग्राम सभा द्वारा ग्राम डी.एस.आर. पर चर्चा की जाएगी और संसाधन व्यवस्था में शामिल विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ एम.एफ.पी. जैसे पेसा प्रावधानों के तहत उपलब्ध संसाधनों सहित असंबद्ध संसाधनों के तहत शुरू किए जाने वाले हस्तक्षेपों और परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्राम सभा में विचार-विमर्श के आयोजन में ग्राम सभा की स्थायी समितियों की विशिष्ट भूमिका होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के कार्य समूहों/ कार्य बल द्वारा लाइन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से प्रत्येक ग्राम सभा में की गई प्राथमिकताओं के आधार पर प्रारूप योजना और परियोजनाओं को तैयार की जाएंगी। ग्राम पंचायत के गांवों की सभी ग्राम सभाएं समाप्त होने के बाद पंचायत स्तरीय ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। इसमें सभी ग्राम सभाओं के प्रस्तावों का संज्ञान लिया जाएगा और उनमें से किसी में भी बदलाव नहीं किया जाएगा। इसमें ग्राम सभाओं द्वारा अंतिम रूप दी गई प्राथमिकताओं को भी नहीं बदला जाएगा। पेसा ग्राम सभाओं के पारंपरिक प्रमुखों और अध्यक्षों को पंचायत स्तर की ग्राम सभा में भाग लेना होगा। ग्राम पंचायत द्वारा तैयार मनरेगा के कार्य की अंतिम सूची में ग्राम पंचायत के तहत सभी पेसा गांवों के लिए पर्याप्त योजनाएं शामिल होंगी। ग्राम पंचायतों को प्रत्येक गांव के लिए मनरेगा योजनाओं को मंजूरी देनी होगी और मांग के अनुसार उन्हें लागू किया जाएगा।

ऐसे भी उदाहरण हो सकते हैं, जहां पर प्रस्तावित परियोजनाओं या किसी विशेष गांव की ग्राम सभा में पहचानी गई जरूरतों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अन्य गांवों या बस्तियों में परियोजना घटकों की आवश्यकता हो। ऐसे मामलों में, जहां परियोजना के विचार बस्ती क्षेत्राधिकारों में फैलते हैं, वहां संयुक्त ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा सकता है और वित्तीय संसाधनों का विलय करने सहित उपयुक्त निर्णयों पर विचार किया जा सकता है और उन्हें अंतिम रूप दिया जा सकता है।

3.5.2 प्रशासनिक और तकनीकी अनुमोदन

राज्य के जी.पी.डी.पी. दिशानिर्देशों में निर्धारित तकनीकी अनुमोदन प्रक्रिया पेसा बस्तियों की परियोजनाओं के लिए भी लागू होगी। परियोजनाओं के प्रशासनिक और तकनीकी अनुमोदन पर विचार करते समय, ग्राम पंचायत या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा लागत या तकनीकी मानदंडों के उल्लंघन के मामले को छोड़कर, ग्राम सभाओं द्वारा पहचानी गई गतिविधियों / परियोजनाओं की प्राथमिकता में बदलाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, चौदहवें वित्त आयोग की स्वीकृत की गई सिफारिशों के अनुसार, प्रशासनिक और तकनीकी दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजनाओं के लिए ग्राम पंचायतों की पसंद को किसी भी उच्च प्राधिकरण द्वारा बदला नहीं जाएगा। तथापि, जहां लागत अथवा तकनीकी मानदंडों का उल्लंघन होता हो, वहां ग्राम पंचायत और पेसा गांव के मामले में, ग्राम सभा को संबंधित परियोजना में सुधार करने के लिए

कहा जा सकता है। प्रत्येक राज्य द्वारा योजना अनुमोदन के लिए प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए, तकनीकी और प्रशासनिक दिशानिर्देशों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए और ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को सूचित किया जाना चाहिए, ताकि वे तुदनुसार निर्णय ले सकें।

3.5.3 पेसा ग्रामों में सूचना का प्रचार-प्रसार

राज्य द्वारा योजनाओं की मंजूरी और कार्यान्वयन से संबंधित पेसा गांवों में सूचना का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए तंत्र, उपकरण और आईईसी तैयार किए जाने चाहिए।

3.5.4 कार्यान्वयन और निगरानी व्यवस्थाएं

जी.पी.डी.पी. दिशानिर्देशों में निर्धारित कार्यान्वयन व्यवस्था के अलावा, कार्यान्वयन में प्रत्येक ग्राम सभा की भूमिका को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए, क्योंकि यह बस्तीस्तर पर निर्णय लेने और कार्यान्वयन करने वाला निकाय है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत समिति के बीच संस्थागत संपर्क और संचार के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, जिसे ग्राम पंचायत समन्वय समिति द्वारा लिया जा सकता है। कार्यान्वयन में ग्राम सभा की स्थायी समितियों/ समितियों (यदि कोई हो) की स्पष्ट भूमिका भी प्रदान की जानी चाहिए। अंततः, ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध निधियों को कार्यान्वयन के लिए ग्राम सभा स्तर पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य द्वारा पंचायत और उप पंचायत स्तर पर उपलब्ध मानव संसाधनों को देखते हुए इसके लिए तौर-तरीकों पर निर्णय लिया जा सकता है। राज्य द्वारा मनरेगा जैसे कार्यक्रमों के लिए, जिनमें मांग आधारित प्रशासनिक बजट होता है, एफ.एस.ए. में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक ग्राम सभा स्तर तक जाने वाली रिपोर्टिंग और निगरानी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा गांव में कार्यान्वित योजनाओं और परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा से निधियों का उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए तंत्र स्थापित किए जा सकते हैं।

ग्राम सभा द्वारा निगरानी और सामाजिक लेखा परीक्षा सहित निगरानी व्यवस्था दिशानिर्देशों में प्रदान की गई है। लाइन विभागों और पंचायत द्वारा योजना और निष्पादन निकाय के रुप में ग्राम सभा, और परियोजना कार्यान्वयन के निगरानी निकाय के रुप में ग्राम सभा को अलग-अलग रुप में स्पष्ट किया जाना महत्वपूर्ण है।

ग्राम स्तर पर योजना तैयार करने की प्रगति की निगरानी और ग्राम पंचायत स्तर पर समेकन तथा पेसा गांवों में योजनाओं की मंजूरी और कार्यान्वयन को भी ग्रामीण विकास और पंचायती राज कार्यक्रमों की देख रेख के लिए गठित राज्य और जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों द्वारा की जाने वाली समीक्षा के एजेंडा के लिए मद बनाया जा सकता है।

3.5.5 निष्पादन प्रोत्साहन

प्रक्रिया में सर्वोत्तम प्रदर्शन के प्रलेखन के साथ-साथ जी.पी.डी,पी, के कार्यान्वयन के भाग के रूप में, गांवों की भी पहचान की जानी चाहिए और उन्हें स्थानीय स्कूलों के रुप में कार्य करने के लिए बीकन गांवों के रूप में कार्य करने के लिए पोषित किया जाना चाहिए।

3.6 क्षमता निर्माण

- राज्य स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में राज्य पेसा समन्वयकों को शामिल किया जाना चाहिए, जिन्हें यथा संभव, मास्टर ट्रेनर्स के राज्य स्तरीय टीओटी के साथ भी संबद्ध करना चाहिए।
- जिला पेसा समन्वयकों और ब्लॉक पेसा समन्वयकों को भी उन समितियों के भाग के रूप में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिनके कि वे सदस्य हैं और संबंधित जिलों में पेसा के लिए जी.पी.डी.पी. के

कार्यान्वयन के लिए संसाधन व्यक्तियों के रूप में हैं। ग्राम पंचायत स्तर के लिए प्रशिक्षण सभी गांवों के लिए ग्राम सभा मोबिलाइज़रों तक पहुंचने चाहिए।

राज्य एफ.एस.ए. में विकास कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण व्यवस्था तैयार की जा सकती है। यह व्यवस्था सभी संबंधित विभागों के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

iii. एफ.एस.ए. में जी.पी.डी.पी. के लिए प्रमुख लक्ष्य समूहों में निर्वाचित प्रमुख और अन्य निर्वाचित पदाधिकारी तथा निर्वाचित सदस्य और पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में पारंपरिक नेता / ग्राम प्रधान / ग्राम सभा प्रधान शामिल होंगे। जबकि योजना और कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण का ध्यान देने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की होनी चाहिए, अन्य स्तरों को भी सुविधा की दृष्टि से शामिल किया जाना चाहिए। पर्यावरण सृजन अभ्यास के दौरान ग्राम सभा सदस्यों को ग्राम स्तरीय नियोजन के उद्देश्य और प्रक्रिया पर भी केंद्रित किया जा सकता है। ग्राम पंचायत सदस्यों, क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं और भागीदारी नियोजन टीमों या ग्राम पंचायत के कार्य समूहों के अलावा, एफ.एस.ए., ग्राम सभा की स्थायी समितियों, पारंपरिक नेताओं, सहायक गैर सरकारी संगठनों में संचालित एस.एच.जी. नेटवर्क को प्रशिक्षण का फोकस बनाने की आवश्यकता है। क्षेत्र में सामान्य नियोजन समन्वय संरचनाओं को विशेष रूप से पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए योजना के तौर-तरीकों पर केंद्रित करने की आवश्यकता होगी।

संसाधन व्यक्तियों की पहचान करते समय साक्षरता, स्वास्थ्य, मनरेगा (एमजीएनआरईजीएस, स्वच्छता, आजीविका, वाटरशेड, जनजातीय विकास आदि से संबंधित कार्यक्रमों में जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करने का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए। एनआरएलएम के सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, को भी प्रशिक्षकों/ मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। भागीदारी नियोजन अभ्यास के लिए पारंपरिक नेताओं/ ग्राम प्रधानों/ ग्राम सभा प्रधानों को संसाधन व्यक्ति बनाया जाना चाहिए। पेसा ग्राम सभाओं के लिए विषयगत आवश्यकताएं जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, शराब और संबंधित मुद्दे, आय सृजन के लिए संपत्ति प्रबंधन, लघु वन उपज, ग्राम कोष, आदि एफ.एस.ए. के लिए जीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए।

जी.पी.डी.पी. के लिए सामान्य प्रशिक्षण की कार्यप्रणाली का एफएसए के मामले में भी पालन किया जाना चाहिए। अलग-अलग प्रशिक्षणों के बजाय, प्रत्येक ग्राम सभा आधारित विकेन्द्रीकृत योजना के सार के एकीकरण की सभावना को जी.पी.डीपी. के प्रशिक्षण में मुख्यधारा में लाया जा सकता है, ताकि सभी हितधारक स्थानीय नियोजन के लिए ग्राम सभा को वास्तविकता बनाने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हों।

प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित संसाधनों को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (पूर्ववर्ती आर.जी.पी.एस.ए.), मनरेगा (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.), एन.आर.एल.एम., एस.बी.एम., जनजातीय कल्याण/ विकास योजनाओं और क्षमता निर्माण के लिए राज्य निधियों जैसे विभिन्न स्त्रोतों से एकत्र किया जा सकता है।

नोट:

यह याद रखा जाना चाहिए कि ये पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों से संबंधित राज्य के जी.पी.डी.पी .दिशानिर्देशों के पूरक दिशानिर्देश हैं, जिन्हें राज्य द्वारा आवश्यकतानुसार अनुकूलित और संदर्भित किया गया है। जहां कहीं भी इनमें दिशानिर्देश प्रक्रिया के किसी भी पहलू, या संस्थागत तंत्र का उल्लेख नहीं हैं, यह समझा जाना चाहिए कि जी.पी.डी.पी. पर मूल मॉडल केंद्रीय दिशानिर्देश स्वचालित रूप से लागू होंगे।